



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

CENTRAL HINDI DIRECTORATE

शिक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF EDUCATION

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM

नई दिल्ली / NEW DELHI-110066

दिनांक / DATED :

तार : राजभाषा
Tele : Rajbhasha
फोन / Phone : 26178454, 26105211
26105213, 26105214, 26105243
26105312
फेक्स / Fax : 26100758, 26102575
www.chd.mhrd.gov.in
www.chdpublication.mhrd.gov.in

सेवा में,

.....
.....
.....

विषय: निदेशालय में लगे 16 CCTV कैमरे की मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) का ठेका देने के संबंध में।

महोदय,

निदेशालय में कुल 16 CCTV कैमरे की मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) का ठेका सामान रहित दिए जाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त शर्तों के अधीन आप ठेका लेने के इच्छुक हों तो कृपया अपनी निविदाएं प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खण्ड-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के नाम सीलबंद लिफाफे में दिनांक 09.12.2024 को प्रातः 12.00 बजे तक भेज दें। निविदाएं उसी दिन दोपहर 03.00 बजे क्रय समिति के समक्ष निदेशालय के समिति कक्ष में खोली जाएंगी। नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं-

1. कोई भी समस्या आने पर फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए इंजीनियर के मोबाइल पर संपर्क करने पर तत्काल समाधान करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. संबंधित फर्म किसी भी संस्थान से Blacklisted नहीं होना चाहिए।
3. संबंधित फर्म का जीएसटी अनिवार्य है।
4. संबंधित फर्म द्वारा लगाए जाने वाले सभी सामान उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।
5. चयनित फर्म के कर्मचारी को उपरोक्त कार्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
6. निदेशालय चयनित फर्म के कर्मचारी के सामान या वाहन की किसी भी प्रकार की चोरी, संधमारी, हानि, क्षति का उत्तरदायी नहीं होगा।
7. चयनित फर्म को शनिवार, रविवार या अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर कार्य के लिए बुलाया जा सकता है।
8. मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) की राशि का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।
9. मरम्मत एवं रख-रखाव के दौरान नया सामान लगाने पर होने वाले व्यय को तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा।
10. संबंधित फर्म को दरें नियमानुसार कर सहित (with GST) प्रस्तुत करनी होंगी।
11. संबंधित फर्म को ए.एम.सी. की दरें सामान सहित (WITH PARTS) एवं सामान रहित (WITH OUT PARTS) दोनों प्रकार की प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. संबंधित फर्म को निविदा प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रकार की सामग्री की दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वे ठेके को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर सकते हैं।

Sanjita Jaiswal
(संगीता जैसवाल) 11/12/24

प्रशासनिक अधिकारी


कृ.पू.उ.

DETAIL OF PARTS (CP-PLUS CCTV)

- 1) 16 PORT CP PLUS DVR
- 2) POWER SUPPLY 16VA
- 3) 4 TB HARD DISK
- 4) LED TV 42 INCH
- 5) BULLET CAMERA 16
- 6) 2 WAY RACK
- 7) TOTAL WORKING AREA GROUND FLR., 1ST FLR, 2ND FLR

Rate List

AMC CHARGES FOR ONE YEAR			Rate
A.	AMC OF CCTV CAMARA (With Parts)		
B.	AMC OF CCTV CAMARA (WithOut Parts)		
S.No.	Items	Qty.	
1.	CAMERA DOOM	01	
2.	CAMERA BULLET	01	
3.	RJ 59 CCTV WIRE (POWER AND VIDEO)	MTR	
4.	SMPS POWER SUPPLY	01	
5.	BNC CONNECTOR	01	
6.	POWER CONNECTOR	01	
7.	HARD DISK 4 TB	01	
8.	HDMI CABLE 10 MTR	01	
9.	ADAPTER	01	
10.	MAIN CARD DVR/NVR	01	
11.	CAMERA LENS/M CARD	01	
12.	MOUSE CODELESS	01	
13.	42 inch TV LED POWER CARD	01	
14.	42 inch TV REMOTE	01	
15.	42 inch TV ON/OFF CIRCUIT	01	
16.	TV SENSOR CARD	01	
17.	CP Plus 16 Port PoE Switch	01	
18.	SHIFTING CHARGES PER CAMERA	01	
19.	VIDEO BALUN BNC	01	
20.	BOX PACK JUNCTION	01	
21.	BATTEN 1.5 INCH FITTNG RATE	01	
22.	CAT 6 WIRE	FT	
23.	3+1 WIRE	MTR	


(संगीता जेम्स)
प्रशासनिक अधिकारी